राजस्थान–सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांकः प.4(23)वित्त/राजस्व/2017 जयपुर, दिनांक :– 5 SEP 2017

आज्ञा

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2013 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर राजस्थान राज्य बीमा और भविष्य निधि सेवा नियम 1959 के नियम 22 एवं 24 बी के अनुसरण में माननीय राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में सहायक निदेशक के पद पर **2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी** के रूप में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद्द्वारा नियुक्ति करते है। यह संगत तिथि हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आधारभूत पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में आधारभूत पाठ्यक्रम पूर्ण करनेवाले अभ्यर्थियों के संबंध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि के अनुसार होगी :–

क्र.सं.	मैरिट नम्बर	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी	जन्म तिथि
1.	225	934289	श्री प्रेम सिंह	BC	25.07.1985
2.	1154	935062	श्री इन्द्र कुमार भानु	SC,RG	01.07.1979
3.	1192	931072	श्री ओमा राम	BC,BL,RG	08.07.1987

उक्त नियुक्तियॉ निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन की जा रही है : –

1. उक्त नियुक्तियॉ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पेशल अपील संख्या 18272–76/2008 (सिविल अपील संख्या 2049–2053/2011) तथा याचिका संख्या 140/11 एवं मा. उच्च न्यायालय में याचिका सं. 6744/2008, 11200/2010, याचिका सं. 1862/2013 और मा. उच्च न्यायालय में लम्बित सभी विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। इसके साथ ही मा0 उच्च न्यायालय में दायर डी0बी0 स्पेशल अपील रिट सं. 334/17 द्वारा श्री भंवराराम चौधरी व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 तथा एसबीसिविल रिट पिटिशन सं. 7815, 7825/17, 8020/17 द्वारा देवेन्द्रपाल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 12.07.2017 की अनुपालना में नियुक्तियॉ उक्त आदेश के अध्यधीन रहेगी। इसी प्रकार उक्त नियुक्तियां डी0बी0 स्पेशल अपील रिट सं. 1488/16 झाबरमल गृहवाल तथा 1410/16 द्वारा लक्ष्मण सिंह बनाम आयोग के प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस0एल0पी0 तथा एस0बी0सी0डब्ल्यू0 पी0 सं. 13952/16 रामूराम बनाम राज्य सहित कुल 07 रिट याचिकाओं/प्रकरणों (यथा एसबीसीडब्ल्यू पी. सं. 13952/16, 13473/16, 13930/16, 13953/16, 13994/16, 14398/16 व 15120/16) में मा0 न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध खण्डपीठ के समक्ष दायर की जाने वाली एस0एल0पी0 के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट सं. 11200/2010 के अध्यधीन भी उक्त नियुक्तियां रहेंगी।
2. **उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 एवं कमांक एफ 14 (1) वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।**
3. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान राज्य बीमा एवं भविष्य निधि सेवा नियमों के नियम 30 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गयी है।
5. उक्त नियुक्तियां संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।

05/9/17

6. इन्हें परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की दशा में अथवा उक्त समयावधि को बढाया जाना आवश्यक समझे जाने पर राज्य सरकार द्वारा यह अवधि स्वविवेकानुसार बढायी जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में 2 बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
7. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाता है अथवा यह प्रतीत होता है कि इनके एक दक्ष सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि होने की संभावना नहीं है तो सरकार इन्हें तुरन्त राज्य सेवा से विमुक्त कर सकेगी।
8. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति के 2 वर्षों के भीतर त्याग पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियोजन (नियुक्ति) ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुणा राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गयी राशि की दो गुणा राशि सरकार को प्रतिसंदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अध्याय XI के अनुभाग–I में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
10. जिन अभ्यार्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका के साथ दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 9.30 बजे (कमरा नम्बर 7307) तृतीय तल, खाद्य भवन, शासन सचिवालय में इस विभाग को आवश्यक रूप से उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में संस्थानिक प्रशिक्षण, जब भी आयोजित किया जायेगा, उपस्थिति देनी होगी।
11. अभ्यर्थियों को दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 9.30 बजे तक अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में उपस्थित हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा तय छात्रावास में प्रशिक्षण के दौरान निवास करना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी को आवश्यकता हो तो छात्रावास सुविधा 10.09.2017 अपराह्न से उपलब्ध होगी।
12. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।
13. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र प्रमाण पत्र एवं पूर्ववृत संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन है। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र एवं पूर्ववृत संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त समझे जायेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
14. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।
15. जो अभ्यर्थी विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
16. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

05/9/17

(वेदप्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर ।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, हरिश चन्द्र माथुर, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से (जो विवाहित हो) विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/II) को उनकी अ.शा.टीप क्रमांक F.9(190)DOP/ A-IV-II/2017 दिनाक 03.08.2017 के संदर्भ में।
7. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन/प्रशासनिक सुधार विभाग, शासन सचिवालय।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र कमांक प. 357/अधि./संस्था/बीमा/2017/5555 दिनांक 04.09.2017 के कम में 3 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
11. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
12. निदेशक एवं आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर
13. श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री बुद्धाराम, वीपीओ. बडगांव, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर, पिन– 341510 को प्रेषित कर लेख है कि मूल विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 11.09.2017 को एचसीएम रीपा, जयपुर में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करने पर ही उपस्थिति मान्य होगी।
14. श्री इन्द्र कुमार भानु पुत्र श्री कल्याण प्रसाद भानु, वीपीओ. हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़।
15. श्री ओमा राम पुत्र श्री पूनाराम झाझरा, गांव नापावास, पोस्ट राजोलाकलां, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली, (राज0) पिन– 306104.
16. अतिरिक्त निदेशक (कम्प्यूटर), वित्त विभाग, शासन सचिवालय।
17. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

05/9/17

संयुक्त शासन सचिव,